इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2011—चैत्र 7, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2011

क्र. 9062-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 28 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०११

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०११

विषय-सूची

खण्ड :

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय

३. विश्वविद्यालय का निगमन.

४. उद्देश्य.

५. विश्वविद्यालय की शक्तियां.

६. अधिकारिता.

७. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

८. विश्वविद्यालय में अध्यापन.

९. विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का निरीक्षण.

अध्याय—तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

१०. विश्वविद्यालय के अधिकारी.

११. कुलाधिपति और उसकी शक्तियां.

१२. कुलपति की नियुक्ति.

१३. कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति.

१४. कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

१५. प्रथम कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

१६. कुलाधिसचिव.

१७. कुल सचिव

१८. विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष.

१९. परीक्षा नियंत्रक तथा अन्य अधिकारी.

अध्याय—चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

२०. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
२१. सभा का गठन.
२२. सभा के सम्मिलन तथा उनमें गणपूर्ति.
२३. सभा की शक्तियां और उसके कर्तव्य.
२४. कार्य परिषद्.
२५. कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.
२६. वित्त समिति.
२७. विद्या परिषद्.
२८. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य.
२९. संकाय.
३०. अध्ययन बोर्ड.
३१. अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा उसके कृत्य.
३२. विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड.
३३. अन्य बोर्ड.

अध्याय—पांच

वित्त

३४. विश्वविद्यालय निधि.
३५. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.

अध्याय—छह

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

३६. परिनियम.
३७. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३८. अध्यादेश.
३९. अध्यादेश किस प्रकार बनाएं जाएंगे.
४०. अध्यादेशों के संबंध में प्रक्रिया.
४१. विनियम.

अध्याय—सात

नामांकन, उपाधियां आदि

४२. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में प्रवेश.
४३. परीक्षकों तथा अनुसीमकों (माडरेटर्स) की नियुक्ति.
४४. महाविद्यालयों तथा विद्यालयों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट.
४५. रजिस्ट्रीकृत स्नातक तथा उपाधि पत्र (डिप्लोमा) धारक.

अध्याय—आठ

संपरीक्षा

४६. वार्षिक रिपोर्ट
४७. लेखाओं की संपरीक्षा

अध्याय—नौ

विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति

४८. अध्यापन पदों पर नियुक्ति.
४९. विश्वविद्यालय द्वारा देय अध्यापकों का वेतन.

अध्याय—दस

आपात उपबंध

५०. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.
५१. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपांतरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति.
५२. धारा ५१ के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि के अवसान का प्रभाव.

अध्याय—ग्यारह

अनुपूरक उपबंध

५३. विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.
५४. समितियों का गठन.
५५. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.
५६. विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.
५७. सेवा की शर्तें.
५८. पेंशन तथा भविष्य निधि.
५९. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
६०. शिक्षण देने के लिए अनुमोदन.
६१. अध्यापकों का वर्गीकरण.
६२. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधि.
६३. विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र.
६४. प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए निरर्हता.
६५. रजिस्ट्रीकृत स्नातकों तथा उपाधि पत्र धारकों के रजिस्टर में से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति.
६६. कठिनाइयों का निराकरण.

अनुसूची

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०११

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०११

चिकित्सा, दन्त, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचरोपैथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा तथा अन्य सहबद्ध विषयों में उपाधि और उपाधि पत्र स्तर पर व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा विज्ञान का एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) ''विद्या परिषद्'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) ''संबद्ध महाविद्यालय या विद्यालय'' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जिसे इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं;

(ग) ''स्वशासी महाविद्यालय या विद्यालय'' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद् द्वारा स्वशासी संस्था के रूप में घोषित किया गया है;

(घ) ''अध्ययन् बोर्ड'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का अध्ययन् बोर्ड;

(ङ) ''होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्'' से अभिप्रेत है, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ (१९७३ का ५९) के अधीन स्थापित होम्योपैथी परिषद्;

(च) ''भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्'' से अभिप्रेत है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्;

(छ) ''कुलाधिपति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(ज) ''महाविद्यालय या विद्यालय'' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन संधारित किया जाता है या जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं;

(झ) ''सभा (कोर्ट)'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट);

(ञ) ''संकायाध्यक्ष/प्राचार्य'' से अभिप्रेत है, महाविद्यालय या विद्यालय का संकायाध्यक्ष/प्राचार्य और जहां कोई संकायाध्यक्ष/प्राचार्य नहीं है, वहां वह व्यक्ति सम्मिलित है जो संकायाध्यक्ष/प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है;

(ट) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, प्राध्ययन विभाग और उसमें अध्ययन केन्द्र सम्मिलित है;

(ठ) ''भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्'' से अभिप्रेत है, दंत चिकित्सक अधिनियम, १९४८ (१९४८ का १६) के अधीन स्थापित दंत चिकित्सा परिषद्;

(ड) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं;

(ढ) ''कार्य परिषद्'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(ण) ''संकाय'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का संकाय;

(त) ''विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किए गए किसी अध्यापन विभाग का अध्यक्ष और उसमें सम्मिलित है किसी ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय का, जो कि गवेषणा कार्य में अभिवृद्धि करने के लिए या विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो, संचालक या संकायाध्यक्ष/प्राचार्य;

(थ) ''महाविद्यालय या विद्यालय का विभागाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, किसी महाविद्यालय या विद्यालय का कोई विभागाध्यक्ष;

(द) ''छात्रावास'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या ऐसे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए निवास स्थान की या सामूहिक जीवन की इकाई जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था की गई है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया गया है या मान्यता दी गई है;

(ध) ''भारतीय नर्स परिषद्'' से अभिप्रेत है, भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, १९४७ (१९४७ का ४८) के अधीन स्थापित नर्स परिषद्;

(न) ''भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्'' से अभिप्रेत है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १०२) के अधीन स्थापित आयुर्विज्ञान परिषद्;

(प) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-८५-पच्चीस-४-८४, तारीख २६ दिसम्बर, १९८४ द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग;

(फ) ''सह-चिकित्सा परिषद्'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २००० (क्रमांक १ सन् २००१) के अधीन स्थापित सह-चिकित्सा परिषद्;

(ब) ''विश्वविद्यालय से संसक्त व्यक्ति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या किसी विद्यालय का कोई कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का या महाविद्यालय या विद्यालय के प्रबंधक-वर्ग (मैनेजमेंट) का कोई सदस्य;

(भ) ''रजिस्ट्रीकृत स्नातक या डिप्लोमा धारक'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया या रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा गया कोई स्नातक या डिप्लोमा धारक;

(म) ''प्राध्ययन केन्द्र'' से अभिप्रेत है, उच्चतर विद्या तथा गवेषणा के स्थान के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की गई संस्था;

(य) ''अनुसूचित जातियों'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जातियां;

(यक) ''अनुसूचित जनजातियों'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जनजातियां;

(यख) ''शासन का सचिव'' में सम्मिलित है, शासन का अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा शासन का प्रमुख सचिव;

(यग) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग;

(यघ) ''परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों'' से अभिप्रेत हैं, विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;

(यङ) ''विश्वविद्यालय का अध्यापक'' से अभिप्रेत है, आचार्य, (प्रोफेसर), सह-आचार्य (ऐसोसिएट प्रोफेसर) उपाचार्य (रीडर), सहायक आचार्य, प्राध्यापक तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विद्या परिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या विद्यालय या ऐसी संस्था में, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई है, शिक्षण देने के लिये या गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं;

(यच) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय;

(यछ) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति;

(यज) ''व्यापम'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.

अध्याय—दो
विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन.

३. (१) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति तथा प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट), कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य विश्वविद्यालय का गठन करेंगे तथा इस प्रकार गठित किया गया विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा;

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा;

(३) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने, किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो कि उसमें निहित हो गई हो, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा अर्जित की गई हो, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अंतरित करने तथा संविदा करने और ऐसी समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं, करने के लिए सक्षम होगा;

(४) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जबलपुर में होगा.

उद्देश्य.

४. विश्वविद्यालय के अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

(क) स्वास्थ्य शिक्षा की ऐसी पद्धति उपलब्ध कराना जो स्वास्थ्य और सहबद्ध स्वास्थ्य की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप होने योग्य हो;

(ख) अध्यापन तथा सीखने की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाना;

(ग) परामर्श, निरंतर चलती रहने वाली शिक्षा तथा गवेषणा और विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए अनुकूल वातावरण हेतु व्यवस्था करना;

(घ) पारस्परिक फायदों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य निकायों से सशक्त संबंध विकसित करना और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना;

(ङ) विद्यार्थियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना;

(च) पूर्व छात्रों के साथ जीवन्त सम्पर्क बनाए रखना और पूर्व छात्रों द्वारा प्रयोजित किए गए कार्यक्रमों को विकसित करना.

विश्वविद्यालय की शक्तियां.

५. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(एक) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण उपलब्ध कराना और गवेषणा कार्य तथा ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रसारण के लिए उपबंध करना;

(दो) अध्यापन तथा गवेषणा के लिए, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों संग्रहालयों तथा अन्य साधनों को स्थापित करना;

(तीन) महाविद्यालयों, विद्यालयों, अध्यापन-विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, छात्रावासों तथा अतिथि-गृहों को स्थापित करना और संधारित करना तथा ऐसी स्थापनाओं का प्रबंध करना;

(चार) (क) विश्वविद्यालय को अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद तथा विद्या संबंधी कोई अन्य पद या कोई अध्यापन पद संस्थापित करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये नियुक्त करना;

(पांच) अध्यापकों को इस रूप में मान्यता देना कि वे संस्थाओं में शिक्षण देने के लिये अर्हित हैं;

(छह) प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे गवेषणा के संबंध में मार्गदर्शन करें;

(सात) विभिन्न परीक्षाओं के लिए शिक्षण-क्रम अधिकथित करना;

(आठ) उपाधियां, उपाधि पत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं संस्थित करना;

(नौ) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाओं, मूल्यांकन या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना:

परन्तु विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या उपाधि पत्र तक पहुंचने वाली परीक्षा में किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने, यदि उसने ऐसी परीक्षा के लिए ऐसा विषय लिया है, जिसके कि लिए प्रयोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य का पाठ्यक्रम विहित किया गया है, ऐसा कार्य विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या विद्यालय में पूरा नहीं कर लिया है तथा जब तक कि वह उस कार्य के इस प्रकार पूरा कर लेने के बारे में उस अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र के विभागाध्यक्ष या उस महाविद्यालय या विद्यालय के संकायाध्यक्ष/प्राचार्य का प्रमाण-पत्र पेश नहीं कर देता है;

(दस) उन व्यक्तियों को, जिन्होंने अध्यादेशों में अभिकथित शर्तों के अधीन गवेषणा कार्य किया है, उपाधि, उपाधि पत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(ग्यारह) उपाधियों, उपाधि पत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;

(बारह) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनियमों में विहित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियां या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(तेरह) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित नहीं हैं, ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे उपाधि-पत्र तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करना, जैसे कि विश्वविद्यालय अवधारित कर;

(चौदह) ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की गई हैं, उन महाविद्यालयों या विद्यालयों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं हैं, अपने विशेषाधिकार देना, ऐसे समस्त विशेषाधिकारों का या उनमें से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना और महाविद्यालयों या विद्यालयों का प्रबंध ग्रहण करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या किसी महाविद्यालय या विद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय या विद्यालय के रूप में घोषित करना :

परंतु स्वायत्तता, जो विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापन विभाग, ऐसे प्राध्ययन केन्द्र या ऐसे महाविद्यालय या ऐसी संस्था को प्राप्त हो सकेगी, की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए तथा वे विषय, जिनके कि संबंध में वह ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेंगे, ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(सोलह) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों या विद्यालयों में अध्यापन तथा गवेषणा कार्य का संचालन करना, समन्वय करना, विनियमन करना तथा नियंत्रण करना;

(सत्रह) परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई रीति में ऐसे छात्रावासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं हैं, मान्यता देना तथा किसी ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(अठारह) महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उचित स्तर बनाए रखा जाता है;

(उन्नीस) समाज के कमजोर वर्गों के तथा विशिष्टत: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य निर्धन वर्ग के शैक्षणिक हित को विशेष रूप से ध्यान देते हुए संप्रवर्तित करना;

(बीस) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा पूर्व छात्रों के लिए पुन: सद्यक पाठ्यक्रमों (रिफ्रेशर कोर्सेस) तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (वोकेशनल कोर्सेस) की सुविधाएं देना;

(इक्कीस) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग तथा सहकार करना

(बाईस) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना—

(क) बहिवर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा विस्तारी सेवा;

(ख) पत्राचार पाठ्यक्रम;

(ग) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;

(घ) समाज सेवा स्कीमें;

(ङ) राष्ट्रीय कैडेट कोर;

(च) छात्र संघ.

(तेईस) संघ या राज्य सरकार के अधीन सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रशिक्षण की तथा ऐसे अन्य प्रशिक्षण की जो राष्ट्रीय विकास में सहायक हों, व्यवस्था करना;

(चौबीस) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना:—

(क) सूचना ब्यूरो;

(ख) नियोजन ब्यूरो; और

(ग) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास ,आचरण अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इंतजाम करना;

(छब्बीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की, जो कि अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं, मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;

(सत्ताईस) ऐसी फीस तथा ऐसे अन्य प्रभार जो महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त किए जा सकेंगे या वसूल किए जा सकेंगे. विहित करना तथा उनका नियंत्रण करना;

(अट्ठाईस) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(उन्तीस) विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों पर परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार नियंत्रण रखना;

(तीस) न्यासों तथा विन्यासों (एंडाउमेंट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना तथा अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप्स), छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां (एकजीविशन्स), वजीफा (बर्सरीज), पदक एवं अन्य पुरस्कार संस्थित तथा प्रदान करना;

(इकतीस) संदान तथा अनुदान प्राप्त करना और निधियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनिहित करना;

(बत्तीस) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की संपत्ति पर, प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(तैंतीस) जहां कहीं चुने गए अभ्यर्थियों की सूची व्यापम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है वहां विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी मापदण्ड, जिनके अंतर्गत परीक्षा मूल्यांकन या जांच की कोई अन्य पद्धति आती है अवधारित करना;

(चौंतीस) महिला विद्यार्थियों के संबंध में ऐसे विशेष इंतजाम करना जिन्हें कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(पैंतीस) कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(छत्तीस) समस्त ऐसे कार्य तथा बातें, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों, जो विश्वविद्यालय के उद्देशों को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित हैं, करना.

अधिकारिता.

६. (१) विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था के संबंध में जो चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा और अन्य सहबद्ध विषयों में शिक्षा दे रहा है और उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र की सीमाओं में स्थित है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी तारीख से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय से सहयुक्त है और उसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिल गए हैं और वह परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से सहयुक्त नहीं रह जाएगा.

(३) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात,—

(क) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिन्हें यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् या सह-चिकित्सा परिषद् द्वारा और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो;

(ख) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सह-चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध या सहबद्ध विषयों के अध्यापन में लगे हुए किसी विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग को लागू नहीं होगी;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा संधारित या संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी.

(४) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं, किए जा रहे गवेषणा और विकास संबंधी कार्यों को विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में ऐसी तारीख या तारीखों से समन्वित और एकीकृत किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं द्वारा पारस्परिक सहमति से नियत की जाएं.

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

७. विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को—

(क) विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करने; या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य होने; या

(ग) अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने या स्वीकार किए जाने; या

(घ) किसी उपाधि, उपाधिपत्र या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने या किसी उपाधि, उपाधिपत्र या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता के लिए अर्हित होने; या

(ङ) विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विशेषाधिकारों या उसके फायदों का उपभोग या प्रयोग करने; या

(च) विन्यास का सृजन करने के लिए निधियों का संदान करने का हकदार बनाने के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या राजनैतिक या अन्य विचारधारा संबंधी कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित करे:

परन्तु विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए या तो शिक्षा, शिक्षण या निवास हेतु किसी महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था को अनन्य रूप से महिलाओं के लिए चला सकेगा या विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे या नियंत्रित किए जा रहे किसी महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था में, विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश देने के प्रयोजनों के लिए महिलाओं या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों या नि:शक्तों के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा में की किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा करती है कि वह परिनियमों या अध्यादेशों में विहित की गई संख्या से अधिक संख्या में या परिनियमों अथवा अध्यादेशों में विहित की गई शैक्षणिक या अन्य अर्हताओं से कम अर्हता वाले विद्यार्थियों को किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश दे.

विश्वविद्यालय में अध्यापन.

८. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन कार्य, ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी एवं पाठ्यचर्या ऐसी होगी जैसी कि यथास्थिति, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित की जाए.

विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का निरीक्षण.

९. (१) कुलाधिपति, स्वप्रेरणा से और राज्य सरकार द्वारा निवेदन किये जाने पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा उपस्करों का और ऐसे किसी महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है या जिसे उसके विशेषाधिकार दिए गए हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या उसके द्वारा किए गए अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवा सकेगा, तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था में उनके प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में वैसी ही रीति में जांच करवा सकेगा.

(२) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना —

(क) विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के संबंध में या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था के संबंध में की जानी है;

(ख) महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था के प्रबंधक वर्ग को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच किसी महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था के संबंध में, जिसे कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं, की जानी है और यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग इस बात के लिए हकदार होगा कि वह एक प्रतिनिधि नियुक्त करे जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के समय उपस्थित रहे तथा उस समय उसकी सुनवाई की जाए.

(३) ऐसा व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के परिणाम की रिपोर्ट कुलाधिपति को देगा और कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में अपने विचार कुलपति के माध्यम से, यथास्थिति, कार्य परिषद् या उक्त प्रबंधक वर्ग को संसूचित करेगा तथा उस पर कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग को की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में सलाह देगा :

परंतु जहां निरीक्षण या जांच राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाने पर कार्रवाई गई है, वहां कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, इस उपधारा के अधीन कार्रवाई करेगा.

(४) यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्रवाई की, यदि कोई हो, जो उसने ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की है या जिसका करना प्रस्तावित हो, सूचना देगा और ऐसी रिपोर्ट, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि कुलाधिपति निदेश दे, भेजी जाएगी.

(५) जहां कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के समाधान योग्य कार्रवाई न करे, वहां कुलाधिपति, कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे, और यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा.

अध्याय तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

१०. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

(तीन) कुलाधिसचिव (रेक्टर);

(चार) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(पांच) कुलसचिव;

(छह) परीक्षा नियंत्रक;

(सात) विद्यार्थी-कल्याण का संकायाध्यक्ष; और

(आठ) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य अधिकारी, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं.

कुलाधिपति और उसकी शक्तियां.

११. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा.

(२) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा और जब वह उपस्थित हो, सभा के सम्मिलनों की या विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा.

(३) कुलाधिपति—

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज-पत्र या जानकारी मंगा सकेगा; और

(ख) अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, धारा ५३ के अधीन आने वाले मामले के सिवाय कोई भी मामला विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले पर पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा.

(४) कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा;—

(क) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय की जिसका गठन इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किया गया है, किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों को, जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप नहीं हैं ; या

(ख) किसी प्राधिकारी, समिति या किसी अन्य निकाय की किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों को, जो कुलपति द्वारा धारा १४ की उपधारा (७) के अधीन उसे निर्देशित की गई हैं, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं, बातिल कर सकेगा :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व वह संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या निकाय को यह कारण दर्शाने के लिए अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाए, तो वह उस पर विचार करेगा.

(५) जहां कुलाधिपति उपधारा (४) के अधीन कार्यवाहियों को बातिल करते हुए कोई आदेश पारित करता है तो वह उसके संबंध में इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप ऐसा पश्चतावर्ती आदेश कर सकेगा जैसा कि वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे और इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम होगा.

(६) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अध्यधीन होगी.

(७) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं.

कुलपति की नियुक्ति.

१२. (१) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) या उपधारा (६) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी :

परंतु यदि समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति, नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिए रजामंद न हों तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा :

परन्तु यह और कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि कोई व्यक्ति जिसने छियासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कुलपति के रूप में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(२) कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति;

(दो) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से नामनिर्देशित किया गया एक विख्यात व्यक्ति;

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन समिति गठित करने के लिए कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व, कार्य परिषद् तथा राज्य सरकार को अपने-अपने नामनिर्देशितियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहें, तो कुलाधिपति, यथास्थिति, पुनः किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकेगा.

(४) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या विद्यालय से संसक्त है, उपधारा (२) के अधीन समिति के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा.

(५) समिति अपने गठन के तारीख से छह सप्ताह के भीतर या कुलाधिपति द्वारा बढ़ाए चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर तालिका प्रस्तुत करेगी.

(६) यदि किन्हीं कारणों से वह समिति, जो उपधारा (२) के अधीन गठित की गई है, उपधारा (५) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति उपधारा (२) से (५) के उपबंधों के अनुसार एक अन्य समिति गठित करेगा.

कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति.

१३. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी परिलब्धियां एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं.

(२) कुलपति चार वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगी.

(३) यदि किसी समय अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने—

(एक) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(दो) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(तीन) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे.

(४) उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन आधारों की विशिष्टियां, जिन पर कि ऐसी कार्रवाई का किया जाना प्रस्तावित है, कुलपति को संसूचित नहीं कर दी गई हैं तथा उसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है.

(५) उपधारा (३) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से यह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा.

(६) कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग, छुट्टी, रूग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने की दशा में जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, तो कुलाधिसचिव और यदि कुलाधिसचिव की नियुक्ति नहीं की गई है या कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित किया गया किसी भी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि धारा १२ की उपधारा (१) अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद यथास्थिति, ग्रहण या पुनःग्रहण न कर ले :

परन्तु इस उधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छह मास से अधिक कालावधि के लिए चालू नहीं रहेगा.

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

१४. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासनिक तथा विद्या विषयक् अधिकारी होगा. वह कार्य परिषद् का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों का, जिनका कि वह सदस्य है, अध्यक्ष होगा. वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी समिति या अन्य निकाय के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो.

(२) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी.

(३) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों के, जिनका कि वह अध्यक्ष है, सम्मिलन बुलाने की शक्ति होगी. वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा.

(४) यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तुरन्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित है तो कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् यथाशीघ्र, अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को करेगा, जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्रवाई करता:

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से विश्वविद्यालय तीन मास से अधिक कालावधि के लिए किसी भी आवर्ती व्यय हेतु वचनबद्ध नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है वहां ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्रवाई की संसूचना दी गई है, तीस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा:

परन्तु यह भी कि इस शक्ति का विस्तार अध्यादेशों, परिनियमों, विनियमों में संशोधन या नियुक्तियों से संबंधित किसी मामले पर नहीं होगा.

(५) उपधारा (४) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा.

(६) उपधारा (४) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई समझी जाएगी जब तक कि वह उपधारा (५) के अधीन दिए गए निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपति द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है या उपधारा (४) के द्वितीय परंतुक के अधीन अपील किए जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है.

(७) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय की किसी भी कार्यवाही से विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा तथा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और तद्नुसार उसकी इत्तिला संबंधित प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को भी देगा जिस पर संबंधित विनिश्चय तब तक प्रभावशील नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला कुलाधिपति द्वारा धारा ११ की उपधारा (४) के अधीन विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है.

(८) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा.

(९) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाएं.

प्रथम कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

१५. विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि यह विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर विश्वविद्यालय की सभा, कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करे और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा:

परंतु कुलाधिपति यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् एक समिति की नियुक्ति करेगा जिसमें एक शिक्षाविद् तथा एक प्रशासनिक विशेषज्ञ होगा जो ऐसे प्रत्येक प्राधिकारी के बदले में कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी.

कुलाधिसचिव.

१६. (१) कुलाधिसचिव की नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी. यदि कार्य परिषद् कुलपति की सिफारिश स्वीकार नहीं करती है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा.

(२) कुलाधिसचिव, विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी होगा. उसकी परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं.

(३) कुलाधिसचिव की पदावधि ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए और इस प्रकार विहित किए जाने तक वे ऐसी होंगी जैसा कि कुलाधिपति द्वारा अवधारित किया जाए.

(४) कुलाधिसचिव, कुलपति के ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि उसे कुलाधिपति द्वारा, कुलपति के परामर्श से समनुदेशित किए जाएं तथा वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाएं.

कुलसचिव.

१७. (१) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुलपति के साधारण अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए करेगा. वह सभा के कार्य परिषद् के, विद्या परिषद् के अन्य विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा.

(२) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी जिन्हें आचार्य या राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत आचार्य के समकक्ष या उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर कम से कम ७ वर्ष का अनुभव हो.

(३) कुलसचिव की परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं.

(४) परिनियमों में अन्यथा उपबंधित कार्य परिषद् की शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए, कुलसचिव यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय किए जाते हैं जिसके लिए वे मंजूर या आवंटित किए गए हैं.

(५) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित किए गए के सिवाय, समस्त संविदाएं विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी और समस्त दस्तावेज तथा अभिलेख विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा अधिप्रमाणीकृत किए जाएंगे.

(६) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष.

१८. (१) विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया संकायाध्यक्ष पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा. उसकी परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं:

परंतु कार्य परिषद् यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, कुलपति की सिफारिश पर, सह-आचार्य या उपाचार्य के पद से अनिम्न पद के किसी अध्यापक को ऐसे अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तीन वर्ष की कालावधि हेतु नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मामले में कार्य परिषद् उसे दिए जाने के लिए यथोचित भत्ते मंजूर कर सकेगी.

(३) विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी.

परीक्षा नियंत्रक तथा अन्य अधिकारी.

१९. (१) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी, जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो.

(२) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं.

(३) परीक्षा नियंत्रक ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों, अध्यदेशों तथा विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं अथवा उस पर अधिरोपित किए जाएं.

(४) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति ऐसी रीति में की जाएगी तथा उनकी परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाएं.

अध्याय चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

२०. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखिति होंगे, अर्थात् :—

(एक) सभा;

(दो) कार्य परिषद्;

(तीन) वित्त समिति;

(चार) विद्या परिषद्;

(पांच) संकाय;

(छह) अध्ययन बोर्ड ;

(सात) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड;

(आठ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं.

सभा का गठन.

२१. (१) सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

समूह-क

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

(तीन) कुलाधिसचिव;

(चार) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(पांच) चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव;

(छह) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;

(सात) आयुक्त/संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्यौपैथी, मध्यप्रदेश शासन;

(आठ) विद्यार्थी-कल्याण का संकायाध्यक्ष.

समूह-ख

(नौ) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग/प्राध्ययन केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों से एक आचार्य, सह आचार्य/ उपाचार्य और एक सहायक आचार्य/व्याख्याता जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे;

(दस) संबद्ध महाविद्यालय से एक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य, एक आचार्य/सह आचार्य/ उपाचार्य और एक सहायक आचार्य/व्याख्याता जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे;

समूह-ग

(ग्यारह) विद्वान वृतिक का प्रतिनिधित्व करने वाले दो से अनधिक व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा परिनियमों द्वारा विहित रीति में नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(बारह) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी और भारतीय चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नर्सिंग सह-चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध व्यवसाईयों के संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले चार से अनधिक व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(तेरह) विधान सभा के चार सदस्य जो विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाएंगे;

(चौदह) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से पांच प्रतिनिधि जो उनमें से ही निर्वाचित किये जाएंगे;

(पन्द्रह) प्रत्येक दानदाता जो विश्वविद्यालय को दस लाख रुपये या उससे अधिक दान करता है;

(सोलह) विश्वविद्यालय के वैतनिक अध्यापनेतर कर्मचारियों में से एक प्रतिनिधि जो उनमें से ही ऐसी रीति में जो कि परिनयमों द्वारा विहित की जाए, निर्वाचित किया जाएगा.

खण्ड-घ

(सत्रह) दो विद्यार्थी जो अध्ययन बोर्ड के विद्यार्थी सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए गए हों;

(अठारह) दो विद्यार्थी जो उन विद्यार्थियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए गए हों जो निर्वाचन के ठीक पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालयीन टूर्नामेन्टों में भाग लेने वाली विश्वविद्यालयीन टीमों के सदस्य रह चुके हों;

समूह-ङ

(उन्नीस) कार्य परिषद् के ऐसे सदस्य जो पूर्ववर्ती समूहों में से किसी भी समूह के अधीन सदस्य न हो.

स्पष्टीकरण :—

(एक) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक मद के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा;

(दो) समूह-ख की मद (नौ) के अधीन किसी विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय में से एक से अनधिक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(तीन) समूह-घ के प्रयोजन के लिए, विद्यार्थी से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो—

(क) विश्वविद्यालय के किन्हीं महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या प्राध्यययन केन्द्र या किसी अन्य संस्था में, अध्यादेशों में अधिकथित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन शिक्षण प्राप्त कर रहा हो या गवेषणा कर रहा हो; और

(ख) १०+२ स्कीम की अपनी कक्षा १२वीं की परीक्षा उस शैक्षणिक सत्र के, जिसमें कि वह निर्वाचित होना चाहता है, प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक से अधिक बारह वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो ओर उसने कक्षा १२वीं तथा उसके आगे की प्रत्येक परीक्षा एक ही प्रयास में उत्तीर्ण की है.

(२) उपधारा (१) के समूह-घ के अधीन निर्वाचित किए गए सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी.

(३) यथास्थिति, उपधारा (१) के समूह-ख तथा समूह-ग के अधीन नामनिर्देशित या निर्वाचित किए गए सदस्यों या उपधारा (१) के समूह-ङ में सम्मिलित किए गए सदस्यों की पदावधि का पर्यवसान सभा की अवधि, जो तीन वर्ष की होगी, के पर्यवसान के साथ होगा.

(४) उपधारा (१) की मद (पन्द्रह) में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक दानदाता उस तारीख से, जिसको विश्वविद्यालय द्वारा दान प्रतिगृहीत किया जाए, ७ वर्ष तक सभा का सदस्य रहेगा और पूर्वोक्त कालावधि के दौरान वह प्रतिनिधि जो ऐसे दानदाता द्वारा समय-समय पर नामनिर्देशित किया जाए, दानदाता समझा जाएगा.

सभा के सम्मिलन तथा उनमें गणपूर्ति.

२२. (१) सभा का सम्मिलन एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार होगा तथा कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति के परामर्श से सभा की बैठक बुलाई जाएगी.

(२) सभा के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी :

परन्तु स्थगित की गई बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.

सभा की शक्तियां और उसके कर्तव्य.

२३. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सभा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;

(दो) विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियों तथा कायक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना;

(तीन) वार्षिक रिपोर्टों, वार्षिक लेखाओं तथा तत्संबंधी संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;

(पांच) सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं कार्य परिषद् की अनुशंसा पर प्रदान करना;

(छह) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का, जहां कि ऐसे प्राधिकारियों ने उन शक्तियों के अनुसार कार्य नहीं किया है जो कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई हैं, पुनर्विलोकन करना;

(सात) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा, उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

कार्य परिषद्.

२४. (१) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक)	कुलपति;	अध्यक्ष
(दो)	कुलाधिसचिव;	सदस्य
(तीन)	चिकित्सा शिक्षा, आयुष और वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव या उनके प्रतिनिधि जो उपसचिव की श्रेणी से निम्न श्रेणी के न हों;	सदस्य

(चार)	संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं से एक संकायाध्यक्ष/ प्राचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जाएगा;	सदस्य
(पांच)	समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष;	सदस्य
(छह)	विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं से एक आचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जाएगा;	सदस्य
(सात)	संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों से दो विभागाध्यक्ष, जो नर्सिंग या सह-चिकित्सा विषयों में से एक जो कि कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जाएगा;	सदस्य
(आठ)	संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश;	सदस्य
(नौ)	आयुक्त/संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी, मध्यप्रदेश;	सदस्य
(दस)	चिकित्सा/दन्त/नर्सिंग/आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी/योग/नेचुरोपैथी/सिद्ध/ सह-चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से दो शिक्षाविद् जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;	सदस्य

(२) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे.

(३) कार्य परिषद् के सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी :

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी.

(४) कुलसचिव, कुलाधिपति के परामर्श से कार्य परिषद् की बैठक बुला सकेगा.

कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

२५. इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रबंध करना;

(दो) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में रखी निधियों का प्रबंध करना;

(तीन) वार्षिक लेखे और उनके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट को अंगीकृत करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन विरचित करना और उन्हें सभा के समक्ष विचारार्थ रखना;

(पांच) (क) वार्षिक प्राक्कलनों को, सभा के सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् अंगीकृत करना;

(ख) वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमा नियत करना जो विश्वविद्यालय के संसाधनों पर आधारित होगी, पूंजीगत व्यय की दशा में ऐसे संसाधनों के अंतर्गत उधारों के आगम आएंगे;

(छह) खण्ड (पांच) के अध्यधीन रहते हुए, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय—

(क) बजट अनुदान की रकम कम करना;

(ख) बजट अनुदान के भीतर की किसी रकम को, एक लघुशीर्ष से किसी अन्य लघुशीर्ष को या किसी एक लघुशीर्ष के अन्तर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य लघुशीर्ष के अंतर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष को अंतरित किए जाने की मंजूरी देना; या

(ग) किसी लघुशीर्ष के भीतर की पच्चीस हजार रुपये से अनधिक किसी रकम को, एक अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य अधीनस्थ शीर्ष को या एक प्रधान इकाई से दूसरी प्रधान इकाई को अंतरित किए जाने की मंजूरी देना;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से निधियां उधार लेना तथा उधार देना :

परन्तु निधियां, विश्वविद्यालय संपत्ति की प्रतिभूति पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उधार नहीं ली जाएंगी;

(आठ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को अंतरित करना :

परंतु विश्वविद्यालय की किसी भी स्थावर संपत्ति का बंधक, विक्रय, विनिमय, दान के रूप में या अन्यथा अंतरण राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं;

(नौ) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उसमें फेरफार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें रद्द करना;

(दस) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना, उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसके उपयोग को विनियमित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्ण विवरण, जिनमें महाविद्यालय, अस्पताल, छात्रावास और उसके द्वारा स्थापित या संधारित अन्य इकाइयां सम्मिलित हैं प्रतिवर्ष राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना;

(बारह) विद्या परिषद् की सिफारिश पर और इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए महाविद्यालयों या विद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और इन विशेषाधिकारों में से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना तथा उस रीति में तथा उन शर्तों के अधीन, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई हों, महाविद्यालयों, विद्यालयों या संस्थाओं का प्रबंध ग्रहण करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र, महाविद्यालय या विद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय या विद्यालय के रूप में घोषित करना :

परन्तु स्वायत्ता, जो विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापन विभाग, प्रत्येक ऐसे प्राध्ययन केन्द्र या प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय को प्राप्त हो सकेगी, की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए तथा वे विषय, जिनके कि संबंध में ऐसी स्वायत्ता का प्रयोग कर सकेंगे, ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(चौदह) विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों (एपरेट्स), पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के पक्ष में न्यासों, वसीयतों (विक्वेस्ट्स), दानों और किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के अंतरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिगृहीत करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं तथा विनिधानों का प्रबंध करना और उनका विनियमन करना;

(सत्रह) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना :—

(क) मुद्रण तथा प्रकाशन ब्यूरो;

(ख) सूचना ब्यूरो;

(ग) नियोजन ब्यूरो;

(अठारह) निम्नलिखित के लिए प्रावधान करना :—

(क) (एक) बहिवर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा गवेषणा;

(दो) विश्वविद्यालय विस्तार संबंधी क्रियाकलाप;

(ख) विद्यार्थी संघ;

(ग) विद्यार्थी कल्याण;

(घ) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;

(ङ) समाज सेवा स्कीमें; और

(च) राष्ट्रीय कैडेट कोर;

(उन्नीस) विद्या परिषद् के समस्त प्रस्तावों की, बजट के ढांचे के भीतर उनके निष्पादन की दृष्टि से समीक्षा करना;

(बीस) ऐसे आचार्य पदों, सह-आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों/प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को, जिनका कि प्रस्ताव विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जाए, संस्थित करना :

परंतु कोई भी अध्यापन पद राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा;

(इक्कीस) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना;

(बाईस) विश्वविद्यालय के किन्हीं आचार्य पदों, सह-आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों/प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को, उनके संबंध में विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने पर समाप्त करना या निलंबित करना;

(तेईस) महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, गवेषणा या विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रावासों की स्थापना करना, तथा उन संस्थाओं को संधारित करना तथा उनका प्रबंध करना ;

(चौबीस) छात्रावासों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए आवास स्थान की व्यवस्था करना;

(पच्चीस) संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं तथा छात्रावासों के निरीक्षण का इंतजाम करना तथा उनके निरीक्षण के लिए निदेश देना और उनकी दक्षता बनाए रखने तथा उनके कर्मचारिवृन्द के सदस्यों के लिए नियोजन की उचित शर्तों को तथा पर्याप्त वेतनों के संदाय को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी करना और ऐसे अनुदेशों की अवहेलना की जाने की दशा में, संबद्ध करने या मान्यता देने की शर्तों में, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, उपांतरण करना या ऐसे अन्य उपाय करना जिन्हें कि वह उस संबंध में आवश्यक तथा उचित समझे;

(छब्बीस) एक महाविद्यालय संहिता तैयार करना जिसमें महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा संस्थाओं के संबद्ध किए जाने संबंधी निबंधन तथा शर्तें अधिकथित की जाएंगी;

(सत्ताईस) संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं, विद्यालयों या छात्रावासों से रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य जानकारी मंगवाना;

(अट्ठाईस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए इंतजाम करना;

(उन्तीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करने की कुलाधिपति से सिफारिश करना;

(तीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उपाधियों, उपाधि पत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करना या उनका प्रत्याहरण करना;

(इकतीस) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक तथा पारितोषिक संस्थित करना;

(बत्तीस) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके कर्तव्य और उनकी सेवा शर्तें परिनिश्चित करना और अस्थाई रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(तैंतीस) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक तथा लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृन्द के सदस्यों में अनुशासन का विनियमन तथा प्रवर्तन परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार करना;

(चौंतीस) किसी संबद्ध या मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारिवृन्द के सदस्य को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देना और ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(पैंतीस) परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा अन्य जांचों (टेस्ट्स) के संचालन का तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करने का इंतजाम करना;

(छत्तीस) अनाचार (मालप्रेक्टिस) की दशा में परीक्षाओं को अंशत: या पूर्णत : रद्द करना तथा ऐसे अनाचार के दोषी पाये गये किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कार्रवाई करना जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों का निष्कासन आता है;

(सैंतीस) विश्वविद्यालय में नामांकित किए गए विद्यार्थियों, जिनके अंतर्गत किन्हीं भी परीक्षाओं के अभ्यर्थी आते हैं, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना;

(अड़तीस) कर्मचारिवृन्द के विरुद्ध तथा अन्तरीक्षकों (इन्विजीलेटर्स), के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना;

(उन्तालीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं, नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(चालीस) अध्यादेश बनाना, उनमें संशोधन करना और उन्हें रद्द करना;

(इकतालीस) विद्या परिषद् द्वारा विरचित विनियमों को प्रतिगृहीत करना, अस्वीकार करना, या विद्या परिषद् की ओर विचारार्थ वापस करना किन्तु उनमें संशोधन न करना;

(बयालीस) कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के व्यथा-निवेदनों (ग्रीवांस) को ग्रहण करना, उन्हें न्यायनिर्णीत करना और यदि ठीक समझा जाए तो उनके संबंध में प्रतितोष देना;

(तैंतालीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं;

(चवालीस) विश्वविद्यालय की समस्त ऐसी शक्तियों का, जो इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हैं तथा समस्त ऐसी अन्य शक्तियों का जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हैं, प्रयोग करना;

(पैंतालीस) अपनी कोई भी शक्तियां विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को या उसके (कार्य परिषद् के) द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, जैसा कि वह उचित समझे, विनियमों द्वारा प्रत्यायोजित करना.

वित्त समिति.

२६. (१) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;

(दो) विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(तीन) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी;

(चार) चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव या उनके नामनिर्देशिती जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;

(पांच) वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;

(२) वित्त समिति, विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करेगी;

(३) इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वित्त समिति, निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी :—

(क) विश्वविद्यालय के आय और व्यय का पुनर्विलोकन करना;

(ख) वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करना और उसको कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु रखना और समय-समय पर उसमें संशोधन करने का सुझाव देना;

(ग) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के संबंध में, प्रस्तावों को मंजूर करना और उन पर विनिश्चय करना;

(घ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक संपरीक्षा को समय पर पूरा करवाना और संपरीक्षा रिपोर्ट के प्रकाश में समुचित निदेश देना;

(४) तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें से कुलपति और उपधारा (१) के खण्ड (चार) या (पांच) में से किसी एक सदस्य की उपस्थिति अत्यावश्यक होगी.

विद्या परिषद्.

२७. (१) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक) कुलपति;

(दो) कुलाधिसचिव;

(तीन) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;

(चार) आयुक्त/संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश शासन;

(पांच) समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष;

(छह) अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष;

(सात) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;

(आठ) चार संकायाध्यक्ष/प्राचार्य जिनमें से दो संबद्ध महाविद्यालयों से और दो संबद्ध विद्यालयों से होंगे जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(नौ) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों से दो आचार्य, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(दस) विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों से दो सह-आचार्य/उपाचार्य, जिनमें से एक महिला अध्यापक होगी और जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(२) विद्या परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी :

परंतु स्थगित सम्मिलन के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.

(३) विद्या परिषद् को किसी ऐसे विशिष्ट कामकाज की, जो कि परिषद् के समक्ष विचारार्थ आए, विषयवस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी. इस प्रकार सहयोजित किए गए सदस्यों को, ऐसे कामकाज के, जिसके कि संबंध में वे सहयोजित किए गए हैं, संपादन के बारे में परिषद् के सदस्यों के समस्त अधिकार होंगे.

(४) विद्या परिषद् के समस्त सदस्य, जो पदेन सदस्यों से तथा उपधारा (३) में निर्दिष्ट किए गए सदस्यों से भिन्न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

(५) कुलसचिव, कुलपति के परामर्श से विद्यापरिषद् की बैठक बुलाएगा.

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य.

२८. (१) विद्या परिषद् को, इस अधिनियम, परिनियमों, तथा अध्यादेशों द्वारा उसमें निहित की गई समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगी, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना तथा शिक्षण के तरीकों के संबंध में, ऐसे महाविद्यालयों में, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो, या जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों, सहकारी अध्यापन के संबंध में, गवेषणा के मूल्यांकन के संबंध में या विद्या संबंधी स्तर विषयक सुधारों के संबंध में निदेश देना;

(दो) या तो स्वप्रेरणा पर या संकाय या कार्य परिषद् द्वारा किए गए निदेश पर विद्या संबंधी सामान्य हित के विषयों के संबंध में विचार करना और उन पर समुचित कार्यवाही करना;

(तीन) (क) अध्ययन बोर्ड को विभाग आवंटित करने के लिए प्रस्ताव करना;
(ख) अधिसदस्यों (फैलोज) को तथा उसके अपने सदस्यों को संकाय के लिए नियत करना;

(चार) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करने के लिए प्रस्ताव करना और उनके प्रदान किए जाने के लिए नियम बनाना;

(पांच) किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना :

परन्तु किसी ऐसे आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि संस्था को यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, सह-चिकित्सा परिषद् अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया है;

(छह) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिए अर्हताएं विहित करना तथा ऐसी मान्यता प्रदान करना;

(सात) परीक्षाओं के संचालन के लिए इंतजाम करना तथा परीक्षाफल तैयार करने के लिए परीक्षाफल समितियों की या अन्य व्यक्तियों या दोनों की जैसा कि वह उचित समझे, नियुक्ति करना और ऐसे परीक्षाफल प्रकाशित किए जाने के लिए कार्य परिषद् को रिपोर्ट करना;

(आठ) किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उस विषय में गवेषणा के संबंध में मार्गदर्शन करें.

(२) विद्या परिषद् एक स्थायी समिति की नियुक्ति कर सकेगी जिसमें कि उसके (विद्या परिषद् के) सदस्य होंगे, उक्त स्थायी समिति के गठन, शक्तियों तथा कृत्यों का अवधारण परिनियमों द्वारा किया जाएगा.

संकाय.

२९. (१) विश्वविद्यालय में परिनियमों द्वारा विहित किए गए अनुसार एक या अधिक संकाय होंगे.

(२) प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्य होंगे और उसे ऐसी शक्तियां होंगी तथा वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(३) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होंगे जो कि उसे अध्यादेशों द्वारा सौंपे जाएं.

(४) संकायाध्यक्ष, कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालय के उन आचार्यों में से, जो उक्त विषय के अध्यापक हैं, दो वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यदि विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों में ऐसा आचार्य नहीं है जो उक्त विषय का अध्यापन कार्य कर रहा है तो संकायाध्यक्ष, संबद्ध महाविद्यालयों के उन आचार्यों में से, जो उक्त विषयों के अध्यापक हैं, नियुक्त किया जाएगा.

(५) संकायाध्यक्ष संकाय का अध्यक्ष होगा और वह संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए अध्यापन एवं गवेषणा के संचालन तथा उनके स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा.

(६) संकायाध्यक्ष को संकाय के किसी भी अध्ययन बोर्ड के किसी भी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा.

अध्ययन बोर्ड.

३०. (१) उपाधि और उपाधिपत्र पाठ्यक्रमों के लिए, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, प्रत्येक विषय या विषयों के समूह हेतु एक अध्ययन बोर्ड होगा.

(२) प्रत्येक बोर्ड में ऐसे व्यक्ति होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा उसके कृत्य.

३१. अध्ययन बोर्ड को ऐसी शक्तियां होंगी तथा वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड.

३२. (१) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक)	कुलपति	अध्यक्ष (चेयरमेन)
(दो)	कुलाधिसचिव	सदस्य;
(तीन)	संकायों के संकायाध्यक्ष	सदस्य;
(चार)	विश्वविद्यालयीन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के तीन अध्यक्ष, जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए गए हों	सदस्य;
(पांच)	तीन महाविद्यालयीन आचार्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए गए हों	सदस्य;
(छह)	ख्यातिप्राप्त तीन विद्वान जो विश्वविद्यालय से संसक्त न हों	सदस्य;
(सात)	तीन विभागाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे	सदस्य;

(२) बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(३) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी.

(४) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजना तैयार करना;

(दो) संकायों द्वारा प्रस्तावित की गई गवेषणा संबंधी परियोजनाओं तथा विद्या संबंधी कार्यक्रमों पर विचार करना तथा अपनी सिफारिशों के साथ उन्हें कार्य परिषद् को अग्रेषित करना तथा अन्तर्संकाय आधार पर परियोजनाएं आरंभ करने के लिए अन्तर्संकाय समन्वय स्थापित करना;

(तीन) संकायों को विद्या संबंधी नए कार्यक्रमों का सुझाव देना और विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों और विद्यालयों और संस्थाओं का समय-समय पर विद्या संबंधी मूल्यांकन करना;

(चार) विभागों, गवेषणा तथा विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं तथा संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव करना;

(पांच) अध्यापन पदों को संस्थित करने तथा ऐसे पदों के कर्तव्य विहित करने के लिए प्रस्ताव करना;

(छह) विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के कार्यकरण का समय-समय पर मूल्यांकन करना;

(सात) योजना की प्रगति का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करना.

अन्य बोर्ड.

३३. (१) विश्वविद्यालय में ऐसे अन्य बोर्ड होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

(२) उपधारा (१) के अधीन गठित किए गए बोर्ड का गठन, अवधि, शक्तियां तथा कर्तव्य वही होंगे जो कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

अध्याय पांच

वित्त

विश्वविद्यालय निधि.

३४. (१) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलाएगी.

(२) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसमें संदत्त किए जाएंगे—

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई भाटक, अभिदाय या अनुदान;

(ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेण्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(ग) समस्त स्त्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अंतर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां.

(३) विश्वविद्यालय निधि कार्य परिषद् के विवेकानुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का सं. २) में यथापरिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. १) द्वारा प्राधिकृत की गई प्रतिभूतियों में विनिहित की जाएगी.

(४) इस धारा में की कोई भी बात, किसी न्यास के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए न्यास की किसी भी घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिगृहित की गई या उस पर अधिरोपित की गई किन्हीं भी बाध्यताओं पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी.

उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.

३५. (१) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एवं निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा :—

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए ऋणों में प्रतिसंदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए गए महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए तथा निवास स्थान तथा छात्रावासों के अनुरक्षण के लिए;

(ग) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिए;

(घ) किन्हीं भी ऐसे वाद या ऐसी कार्यवाहियों के, जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, व्ययों के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिए और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालयों में नियोजित किए गए अध्यापकवृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिए, और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापना के सदस्यों को किसी भविष्य निधि के अभिदायों, उपदान तथा अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(च) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालयों के किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन, बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिए;

(झ) पूर्ववर्ती खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किए गए किन्हीं ऐसे अन्य व्ययों के, जो कि कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये व्यय घोषित किए गए हों, संदाय के लिए.

(२) कार्य परिषद् द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय के लिए नियत की गई सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा.

(३) उस व्यय से, जिसके कि संबंध में बजट में उपबंध किया गया है, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा.

अध्याय-छह

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

परिनियम.

३६. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियां तथा कर्तव्य, जिन्हें समय-समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाए;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किए गए निकायों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना सम्मिलित है और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय है;

(ग) कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य;

(घ) कुलाधिसचिव की पदावधि, शक्तियां तथा कर्तव्य;

(ङ) कुल सचिव, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष तथा परीक्षा नियंत्रक की शक्तियां तथा कर्तव्य और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य और उनकी सेवा की शर्तें;

(च) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के फायदे के लिये पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम का स्थापन तथा उपदान एवं अन्य फायदों का उपबंध;

(छ) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह किया जाना;

(ज) सम्मानित उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या-संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकायों, छात्रावासों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा महाविद्यालयों और विद्यालयों और संस्थाओं का स्थापन तथा उनकी समाप्ति;

(ट) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों, विद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का प्रत्याहरण;

(ठ) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालयों या विद्यालयों और संस्थाओं को प्राप्त हो सकने वाली स्वायत्तता की सीमा और वे विषय जिनके कि संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा;

(ड) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के आचार्यों, सह-आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों की अर्हताएं;

(ढ) विन्यासों (एण्डाउमेण्ट्स) का प्रबंध और अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एक्जीविशन्स), वजीफों (बर्सरीज), पदकों, पारितोषिकों, तथा अन्य पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ण) अधिकारियों की उपलब्धियों तथा उनकी सेवा के निबंधन एवं शर्तें और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, वेतनमान से भिन्न उपलब्धियां तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें;

(त) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकायाध्यक्ष, प्राचार्य, अध्यापक तथा कर्मचारियों की ज्येष्ठता अवधारित करने का ढंग;

(थ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का बनाए रखा जाना;

(द) प्रकाशन ब्यूरो का स्थापन तथा गठन; और

(ध) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३७. (१) धारा ३६ में दिए गए विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और उसकी एक प्रति विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

(२) कार्य-परिषद्, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित की गई रीति में, समय-समय पर, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी और परिनियमों में संशोधन कर सकेगी या उन्हें निरस्त कर सकेगी.

(३) विद्या परिषद् कार्य परिषद् द्वारा पारित किए जाने के लिए किसी नये परिनियमों का या किन्हीं विद्यमान परिनियमों में संशोधन का प्रारूप कार्य परिषद् को प्रस्तावित कर सकेगी :

परंतु विद्या परिषद् किन्हीं ऐसे परिनियमों के या किसी परिनियम में किसी ऐसे संशोधन के, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रस्ताव पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार प्रकट की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा.

(४) कार्य-परिषद्, किसी ऐसे प्रारूप को, जो उपधारा (३) में निर्दिष्ट किया गया है, अनुमोदित कर सकेगी तथा परिनियम को पारित कर सकेगी या उसे अस्वीकार कर सकेगी या ऐसे प्रारूप को किसी ऐसे संशोधन के साथ, जिसका कि वह सुझाव दे, पूर्णत: या अंशत: पुनर्विचार करने के लिए विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी.

(५) कार्यपरिषद् का कोई भी सदस्य किसी नये परिनियम के या विद्यमान परिनियम में संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव कार्य परिषद् को कर सकेगा और कार्य परिषद् उस प्रस्ताव को, या तो स्वीकार कर सकेगी या यदि वह विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित है, तो उसे अस्वीकार कर सकेगी. उस दशा में, जबकि ऐसा प्रारूप विद्या परिषद् के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाले विषय से संबंधित है, तो कार्य परिषद् उसे विचारार्थ विद्या परिषद् को निर्दिष्ट करेगी जो कार्य परिषद् को या तो यह रिपोर्ट दे सकेगी कि वह प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती है और तब उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे कार्य परिषद् ने अस्वीकार कर दिया है या कार्य परिषद् को ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विद्या परिषद् अनुमोदित करे, एक प्रारूप प्रस्तुत करेगी और इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्रारूप की दशा में इस धारा के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे विद्या परिषद् द्वारा कार्य परिषद् को प्रस्तावित किए गए प्रारूप की दशा में लागू होते हैं.

(६) किसी नये परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या परिनियम में किसी संशोधन या उसके निरसन के लिये कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उसे मंजूर कर सकेगा, नामंजूर कर सकेगा या उसे और आगे विचार किए जाने के लिए वापिस भेज सकेगा.

अध्यादेश.

३८. (१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे:—

(एक) महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा प्रयोग शालाओं में विद्यार्थियों का प्रवेश और फीस का उद्ग्रहण तथा उनका नामांकन;

(दो) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं और उनके लिए अर्हताएं;

(तीन) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों, तथा प्रमाण-पत्रों तक पहुंचाने वाली परीक्षा;

(चार) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों हेतु प्रभारित की जाने वाली और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के लिए प्रवेश देने हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(पांच) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टिताओं से संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए शर्तों का अधिकथित किया जाना;

(छह) परीक्षाओं का संचालन;

(सात) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एक्जीबिशन्स), पदकों तथा पारितोषकों आदि के प्रदान किए जाने की शर्तें;

(आठ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना;

(नौ) अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें और छात्रावासों में निवास के लिये फीस का उद्ग्रहण;

(दस) छात्रावासों की मान्यता तथा उनका निरीक्षण;

(ग्यारह) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकने वाले विशेष इंतजाम, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रमों का विहित किया जाना;

(बारह) नैतिकता संबंधी शिक्षण का दिया जाना;

(तेरह) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठापित या संधारित महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का प्रबंध;

(चौदह) महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, कर्तव्य, अर्हताएं तथा नियुक्ति की शर्तें, जिनके अन्तर्गत उनका वेतनमान सम्मिलित है;

(सोलह) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय के साथ संयुक्त रूप से नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड एवं समितियों के कर्तव्य तथा शक्तियां;

(सत्रह) विद्यार्थियों के स्थानांतरण के संबंध में संबद्ध महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले तथा प्रवृत्त किए जाने वाले नियम;

(अट्ठारह) संबद्ध महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाला विद्यार्थियों का रजिस्टर;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;

(बीस) वे दरें, जिन पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, समितियां तथा अन्य निकायों के सदस्यों के लिए और विश्वविद्यालय के परीक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारीवृन्द के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा;

(इक्कीस) विद्यार्थी संघ का गठन तथा उसके निर्वाचन की रीति; और

(बाईस) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार, अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या उपबंधित किए जाएं;

परन्तु मद (पंद्रह) के अधीन का अध्यादेश धारा ४९ के उपबंधों के अध्यधीन होगा.

अध्यादेश किस प्रकार बनाएं जाएंगे.

३९. (१) समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे.

(२) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया अध्यादेश उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि वह कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किया जाए.

अध्यादेशों के संबंध में प्रक्रिया.

४०. (१) धारा ३८ की उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई अध्यादेश, जो विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रभाव डालता हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्य की जाने वाली परीक्षाओं को या विश्वविद्यालय के उपाधि या उपाधि पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए धारा ४२ की उपधारा (१) में वर्णित की गई और अर्हताओं को विहित करता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसके प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा नहीं किया गया हो, या

(ख) कोई अध्यादेश, जो परीक्षकों की शर्तों तथा उनके कर्तव्यों पर और परीक्षाओं के संचालन या उनके स्तर पर प्रभाव डालता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि वह संबंधित संकाय या संकायों के प्रस्ताव के अनुसार नहीं हो और ऐसे अध्यादेश के प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा नहीं किया गया हो; या

(ग) कोई अध्यादेश, जो विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, अर्हताओं तथा उपलब्धियों पर प्रभाव डालता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक कि उसके प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा नहीं किया गया हो.

(२) कार्य परिषद् को यह शक्तियां नहीं होंगी कि वह ऐसे प्रारूप को जिसका कि प्रस्ताव उपधारा (१) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा किया गया हो, संशोधित करे किन्तु वह उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकेगी या प्रारूप को किसी ऐसे संशोधन के साथ जिसका कि कार्य परिषद् सुझाव दे, पूर्णत: या अंशत: पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी.

(३) उपधारा (२) के अधीन किसी प्रारूप के वापिस किये जाने के पश्चात् तथा कार्य परिषद् द्वारा सुझाए गए किसी संशोधन पर विद्या परिषद् द्वारा और विचार किया जा चुकने के पश्चात् वह प्रारूप विद्या परिषद् की तत्संबंधी रिपोर्ट के साथ कार्य परिषद् के समक्ष पुन: प्रस्तुत किया जाएगा और तब कार्य परिषद् ऐसी रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, उस प्रारूप के संबंध में कार्यवाही कर सकेगी.

(४) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किए गये किसी अध्यादेश का प्रारूप अस्वीकार कर दिया है, वहां विद्या परिषद् कुलाधिपति को अपील कर सकेगी और कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावशील होगा, जो कि उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए.

विनियम.

४१. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, समितियां तथा अन्य निकाय, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किए गए हों, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विनियम बना सकेंगे जिनमें,—

(क) अपने सम्मिलन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को अधिकथित किया जा सकेगा:

परन्तु जब तक गणपूर्ति के लिये उपबंध करने वाले विनियम नहीं बनाए जाते, तब तक विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय का सम्मिलन करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति की संख्या वह संख्या होगी जिससे कि उन सदस्यों का बहुमत बनता हो जिनसे कि विश्वविद्यालय का ऐसा प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय तत्समय गठित होता हो;

(ख) ऐसे समस्त विषयों के लिये उपबंध हो सकेंगे जिनको कि इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार, विनियमों द्वारा विहित किया जाना है; और

(ग) ऐसे समस्त अन्य विषयों के लिये उपबंध हो सकेंगे जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या अन्य निकायों से या समितियों से संबंधित हों जो उनके द्वारा नियुक्त की गई हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है.

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, समिति तथा निकाय ऐसे विनियम बनाएगा जिनमें ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय के सदस्यों को सम्मिलन की तारीख की तथा कामकाज की, जिस पर उन सम्मिलनों में विचार किया जाना हो, सूचना दिए जाने एवं सम्मिलन के कार्यवृत्त रखे जाने के लिए उपबंध हो.

(३) कार्य परिषद् सभा से भिन्न किसी प्राधिकारी, समिति या निकाय द्वारा इस धारा के अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों को उपांतरित या बातिल कर सकेगी;

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी, समिति या निकाय जिसका ऐसे उपांतरण या बातिलीकरण से समाधान न हो, कुलाधिपति को अपील कर सकेगा जिसका इस मामले में विनिश्चय अंतिम होगा.

अध्याय–सात

नामांकन तथा उपाधियां आदि

विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में प्रवेश.

४२. (१) विद्यार्थी, उपाधि या उपाधि पत्र संबंधी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि उन्होंने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३ सन् १९६५) के अधीन ली गई अंतिम परीक्षा या कोई ऐसी परीक्षा, जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार उसके समतुल्य मान्य की गई है, उत्तीर्ण नहीं कर ली है तथा जब तक कि वे ऐसी और अर्हताएं न रखते हों, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं.

(२) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, उपाधि संबंधी पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी भी उपाधि को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा प्रदान की गई हो, अपनी उपाधियों के समतुल्य होना या किसी अन्य परीक्षा को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३ सन् १९६५) के अधीन ली गई अंतिम परीक्षा के समतुल्य होना मान्य कर सकेगा.

(३) किसी भी विद्यार्थी को, उपाधि तक पहुंचाने वाले पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह किसी महाविद्यालय, विद्यालय, संस्थाओं, अध्यापन विभाग या अध्ययन केन्द्र में विद्यार्थी के रूप में नामांकित नहीं हो जाता है.

परीक्षकों तथा अनुसीमकों (माडरेटर्स) की नियुक्ति.

४३. (१) परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समस्त परीक्षक तथा परीक्षा के प्रश्नों के अनुसीमक (माडरेटर्स) कुलपति द्वारा उस समिति के परामर्श से नियुक्त किए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(एक) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष जो उस समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष;

(तीन) संबंधित अध्ययन बोर्ड का एक सदस्य जो उस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(२) यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षक किसी कारण से उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो कुलपति उस रिक्ति को भरने के लिए परीक्षक की नियुक्ति करेगा.

महाविद्यालयों तथा विद्यालयों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट.

४४. (१) प्रत्येक महाविद्यालय या विद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य जानकारी देगा जैसा कि कार्य परिषद् , विद्या परिषद् की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय या विद्यालय की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिए अपेक्षित करे.

(२) कार्य परिषद्, समय-समय पर, एक या एक से अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा जो कि कार्य परिषद् द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए जाएं, ऐसे महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था का निरीक्षण करावाएगी.

(३) कार्य परिषद् ऐसे किसी महाविद्यालय या संस्था से, जिसका इस प्रकार निरीक्षण किया गया है, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी कार्यवाही करने के लिए अपेक्षा कर सकेगी जैसा कि उसे आवश्यक प्रतीत हो.

रजिस्ट्रीकृत स्नातक और उपाधि पत्र धारक.

४५. विश्वविद्यालय के केवल स्नातक या उपाधि पत्र धारक ही, ऐसी फीस का, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए संदाय करने पर रजिस्ट्रीकृत स्नातकों और उपाधि पत्र धारकों के रजिस्टर में जो कि ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, अपने नाम नामांकित कराने के हकदार होंगे.

अध्याय-आठ
संपरीक्षा

वार्षिक रिपोर्ट.

४६. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी तथा जो ऐसी तारीख को या उससे पूर्व सभा में प्रस्तुत की जाएगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए और उस पर सभा द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा. सभा उस पर संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित कर सकेगी. उसके पश्चात् विश्वविद्यालय, उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार यथाशक्यशीघ्र उसे विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

लेखाओं की संपरीक्षा.

४७. (१) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा, राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो पंद्रह मास से अधिक न हो.

(२) संपरीक्षित लेखाओं की प्रति और उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट कार्य परिषद् द्वारा सभा और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी. राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र, उसे विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

अध्याय-नौ
विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति

अध्यापन पदों पर नियुक्ति.

४८. (१) कोई भी व्यक्ति—

(एक) आचार्य , सह-आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य या प्राध्यापक के रूप में; या

(दो) विश्वविद्यालय किसी अन्य अध्यापन पद पर जिसका कि वेतन विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, उपधारा (२) के अनुसार गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिशों पर ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा नहीं:

परन्तु यदि पूर्वोक्त अध्यापन पदों में से किसी भी पद पर की गई नियुक्ति के, छह मास से अधिक समय तक चालू रहने की प्रत्याशा नहीं है और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित विभाग या संस्था के हित के अपाय के बिना उसमें बिलंब नहीं किया जा सकता है, तो कार्य परिषद् उपाधारा (२) के अधीन गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिश अभिप्राप्त किए बिना ही ऐसी नियुक्ति कर सकेगी किन्तु इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति को, प्रवरण समिति की सिफारिश पर के सिवाय उसी पद पर छह मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं रखा जाएगा या विश्वविद्यालय की सेवा में से किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(२) प्रवरण समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(एक) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;

(दो) एक विशेषज्ञ जो विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसे विषय के तीन विशेषज्ञों की तालिका (पैनल) में से, जो विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संसक्त न हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(तीन) विषय के तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संसक्त न हों, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाएंगे:

परन्तु तीन विशेषज्ञों में से कम से कम एक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से नामनिर्देशित किया जाएगा तथा इन प्रवर्गों से ऐसे विशेषज्ञ की अनुपलब्धता की दशा में, संभागीय आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक प्रशासकीय अधिकारी, जो इन प्रवर्गों से संबंधित हों, नामनिर्देशित किया जाएगा;

(चार) सचिव, यथास्थिति, चिकित्सा शिक्षा विभाग या आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन, या उसका नामनिर्देशिती.

(३) प्रवरण समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) समिति, विभिन्न अभ्यर्थियों के गुणागुण का अनुवेषण करेगी और कार्य परिषद् को उन व्यक्तियों के, जिन्हें कि वह पदों के लिये उपयुक्त समझती है, नामों की, यदि कोई हो, उन्हें गुणानुक्रम में क्रमांकित कर सिफारिश करेगी:

परन्तु कोई भी सिफारिश तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उस सम्मिलन में जिसमें कि ऐसी सिफारिश के बारे में विनिश्चय किया जाना है. उपधारा (२) के खण्ड (तीन) के अधीन नामनिर्देशित किए गए कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित न हों.

(५) कार्य परिषद् उन व्यक्तियों में से, जिनकी कि उपधारा (४) के अधीन इस प्रकार सिफारिश की गई है, गुणानुक्रम के अनुसार नियुक्त करेगी.

विश्वविद्यालय द्वारा देय अध्यापकों का वेतन.

४९. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे वेतनमानों के अनुसार होगा जो कि कार्य परिषद् द्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यादेश द्वारा नियत किए जाएं.

अध्याय-दस
आपात उपबंध

राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.

५०. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी परिस्थिति उद्‌भूत हो गई है कि जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन होगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना प्रथमत: ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परन्तु ऐसे प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(३) उपधारा (१) अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार इस प्रकार बढ़ जाएगा कि वह विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धांतों का, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट है, अनुपालन करे और ऐसे अन्य निदेश दे सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे.

(४) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निदेश के अन्तर्गत कोई ऐसा उपबंध हो सकेगा:—

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि बजट मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई हो कि वह प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं अंतवर्लित हैं, मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(तीन) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(चार) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए समस्त व्यक्तियों के या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;

(पांच) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाए;

(छह) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को कम किया जाए; और

(सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दबाव कम हो जाए.

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी के लिए और विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आबद्धकारी होगा कि वह इस धारा के अधीन किए गए निदेश को कार्यान्वित करे.

(६) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिए गए निदेश के अपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरूपयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप में दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी:

परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाने की कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपांतरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति.

५१. (१) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधन हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा उसमें (अधिसूचना में) वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि धारा १२, १३, २१ से २५, २७ तथा ४१ के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय को, लागू होंगे.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से १२ मास की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि जैसी वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि जिससे अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि एक वर्ष से अधिक न हो जाए.

(३) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:—

(एक) इस अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान यह अधिनियम, अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा;

(दो) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारण किए हुए हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपने पद को रिक्त कर देगा;

(तीन) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति, सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा;

(चार) जब तक यथास्थिति सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का यथा उपांतरित उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन न हो जाए तब तक कुलपति, जो यथाउपांतरित धारा १२ तथा १३ के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों:

परन्तु कुलपति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए एक समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

(४) कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किए जाने के साथ-साथ कुलपति को यथा उपांतरित धारा १२ तथा १३ के अधीन नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद पर बना रहेगा:

परन्तु कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किए रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्यशीघ्र, कुलपति, अधिनियम के यथा उपांतरित उपबंधों के अनुसार सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाए, इन दोनों में से जो भी पश्चातवर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी:

परन्तु यदि सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाए तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक कि यथास्थिति सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय.

धारा ५१ के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने का प्रभाव.

५२. धारा ५१ के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर, इस अधिनियम के उपबंध जैसे कि वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय को लागू होने के संबंध में उपांतरित किए गए हैं, उसके संबंध में प्रवृत्त नहीं रहेंगे और उस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंध पुन: प्रवर्तित हो जाएंगे तथा उसको लागू रहेंगे.

परन्तु अधिसूचना के प्रवर्तन के अवसान का—

(क) यथा उपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किए गए किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उन उपबंधों या उस आदेश के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ख) यथा उपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ग) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा अन्वेषण या उपचार इस प्रकार संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो कि उपांतरित उपबंधों को लागू होना समाप्त नहीं हुआ हो.

अध्याय-ग्यारह

अनुपूरक उपबंध

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.

५३. यदि इस अधिनियम या किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक्रूपेण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व, कुलाधिपति स्वयं या उसके द्वारा नाम-निर्देशित अधिकारी, ऐसे विनिश्चय के कारण प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा में अभिव्यक्ति:—

(क) ''निकाय'' के अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन गठित की गई कोई समिति आती है;

(ख) ''नियुक्त किया गया'' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के वैतनिक पदों पर नियुक्तियां नहीं आती हैं.

समितियों का गठन.

५४. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई हो, वहां उन समितियों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, होंगे जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे.

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

५५. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां, सुविधानुसार यथाशक्यशीघ्रता से उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने कि उस सदस्य को जिसका कि स्थान रिक्त हुआ है, नाम-निर्देशित, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया हो और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नाम-निर्देशित, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय का उस अवधि की शेष कालावधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान की उसने पूर्ति की है, सदस्य रहा होता.

विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.

५६. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि:—

(क) उसमें कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.

सेवा की शर्तें.

५७. (१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक जिसे कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता है लिखित संविदा के अधीन, जो कि विश्वविद्यालय में रखी जाएगी, नियुक्त किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी.

(२) विश्वविद्यालय और उसके वैतनिक कर्मचारियों के बीच संविदा से या अन्य किसी प्रकार से प्रोदभूत होने वाला सेवा संबंधी मामले का कोई विवाद कुलपति द्वारा न्यायनिर्णीत किया जाएगा तथा कुलपति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील कुलाधिपति को की जाएगी जो विवाद को स्वयं विनिश्चित करेगा या उसे ऐसे अधिकरण को निर्दिष्ट करेगा जो इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(एक) राज्य के विश्वविद्यालय में से किसी विश्वविद्यालय का कोई कुलपति;

(दो) मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग या आयुष विभाग का भारसाधक सचिव;

(तीन) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश या निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी.

पेंशन तथा भविष्य निधि.

५८. विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वर्ग के कर्मचारीवृन्द तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा तथा भविष्य निधि का गठन करेगा तथा ऐसे अन्य फायदे संस्थित करेगा जिन्हें कि वह उचित समझे.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

५९. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी.

शिक्षण देने के लिए अनुमोदन.

६०. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में—

(क) तब तक शिक्षण नहीं देगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विद्या परिषद् द्वारा उस संबंध में निर्धारित की गई अर्हताएं न रखता हो; और

(ख) ऐसे विषय या विषयों में तथा उसी स्तर तक, जिसके लिए विद्या परिषद् ने उसकी अर्हताएं अनुमोदित की हों, शिक्षण देगा, इसके सिवाय नहीं.

अध्यापकों का वर्गीकरण.

६१. (१) महाविद्यालय, विद्यालय और संस्थाओं में आचार्यों, सह-आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों जो यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय केन्द्रीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् या सह-चिकित्सा परिषद् द्वारा अधिकथित की गई विद्या संबंधी तथा अन्य अर्हताएं और अनुभव संबंधी शर्तें पूरी करते हैं तथा संबंधित परिषद् द्वारा अनुमोदित या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं, विश्वविद्यालय द्वारा क्रमशः आचार्यों, सह-आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों के रूप में मान्यता दी जाएगी. संकायाध्यक्ष/ महाविद्यालयों के प्राचार्य जो संबंधित विषयों में स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि स्तर का न्यूनतम १५ वर्ष का अध्यापन अनुभव रखते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संकायाध्यक्ष/ प्राचार्य का वेतन आहरित कर रहे हैं, विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य के रूप में मान्य किए जाएंगे.

(२) ''अतिथि आचार्य'' (विजिटिंग प्रोफेसर) से अभिप्रेत है ऐसा आचार्य, जो कार्य परिषद् द्वारा ऐसी अल्प अवधि के लिए, जो ६ मास से अधिक नहीं होगी, जैसी कि संविदा में नियत की जाए, आमंत्रित किया गया हो.

(३) ऐसे अध्यापक को, जो किसी संस्था में अंशकालीन आधार पर नियुक्त किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्यों की पदावधि.

६२. (१) जब कभी इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से कोई पद धारण करना हो या किसी प्राधिकारी का सदस्य होना हो, तो ऐसी ज्येष्ठता इस अधिनियम में कोई प्रतिकूल उपबंध न होने पर, परिनियमों के अनुसार अवधारित की जाएगी:

परन्तु जब तक कि ऐसे परिनियम न बनाए जाएं किसी विशिष्ट संवर्ग में ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में की गई निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जाएगी और जहां दो या अधिक व्यक्तियों की उसी संवर्ग में की गई सेवा की अवधि एक सी हो वहां ''ज्येष्ठता'' आयु में ज्येष्ठता के आधार पर अवधारित की जाएगी.

(२) जब कभी कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित ओहदे या पद के आधार पर या कोई विनिर्दिष्ट अर्हता रखने के आधार पर किसी प्राधिकारी का सदस्य बन जाता है, तो वह उस दशा में, जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व ऐसे ओहदे या पद पर न रहे या उस दशा में जब कि उसकी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व उसमें ऐसी अर्हता न रह जाए, तत्काल ही ऐसे प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा:

परन्तु केवल इसी कारण से कि वह ऐसी कालावधि के लिए, जो चार मास से अधिक नहीं हो, छुट्टी पर चला गया है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ओहदे या पद का धारणकर्ता नहीं रह गया है.

विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र.

६३. (१) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या किसी अन्य विश्वविद्यालयीन प्राधिकारी या समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई भी सदस्य, संकाय या संकायाध्यक्ष, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और त्याग-पत्र, कुल सचिव द्वारा पत्र प्राप्त किए जाने के समय ही प्रभावशील हो जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से भिन्न कोई भी अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा हो, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि वह उस प्राधिकारी द्वारा प्रतिगृहीत कर लिया जाता है जो कि उस रिक्ति को भरने के लिए सक्षम हो.

प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए निरर्हता.

६४. (१) कोई भी व्यक्ति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा:—

(क) यदि वह विकृत चित्त का है; या

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) यदि वह किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें कि नैतिक पतन अन्तर्वलित हो, और उसके संबंध में कारावास से, जो छह मास से कम का न हो, दण्डित किया जा चुका है.

(२) यदि ऐसा कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि को व्यक्ति उप-नियम (१) में उल्लिखित किसी निरर्हता के अध्यधीन है या रहा है तो ऐसा प्रश्न कुलाधिपति के विनिश्चय हेतु सौंपा जाएगा तथा उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाई नहीं होगी.

रजिस्ट्रीकृत स्नातकों तथा उपाधि पत्र धारकों के रजिस्टर में से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति.

६५. (१) कुलाधिपति, कार्य परिषद् के निवेदन पर किसी भी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत स्नातकों और उपाधि पत्र धारकों के रजिस्टर में से हटा सकेगा और किसी भी व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता पद से हटा सकेगा, यदि वह व्यक्ति—

(एक) घोर कदाचार का दोषी है; और

(दो) ऐसा कार्य करता है जो विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है:

परन्तु कुलाधिपति ऐसी दशा में प्रारंभिक जांच करवाएगा तथा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह यथास्थिति, ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातक या किसी प्राधिकारी या निकाय के सदस्य पर लिखित आरोप-पत्र की तामील करेगा, जिसमें यथास्थिति, कदाचार का या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य का कथन किया जाएगा.

(२) आरोप-पत्र के उत्तर पर, जो कि उसके पास यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत स्नातक या उपाधि पत्र धारक या विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय के सदस्य द्वारा उपधारा (१) के अधीन भेजा गया हो, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति, यदि वह यह समझता है कि आगे की कार्यवाही आवश्यक है, जांच ऐसे अधिकरण को न्यस्त कर सकेगा जिसमें यथास्थिति, कुलाधिपति का नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, कार्य परिषद् का एक नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति तथा अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य, का नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति होगा.

(३) अधिकरण, यथास्थिति, अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या उपाधि पत्र धारक या सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे साक्ष्य की, जो कि आवश्यक हो, परीक्षा करने के पश्चात् अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और उसे कुलाधिपति की ओर अग्रेषित करेगा;

(४) कुलाधिपति अधिकरण की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अंतिम आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे:

परन्तु कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या उपाधि पत्र धारक या सदस्य को, यह कारण दर्शाने का कि उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई क्यों न की जाए, युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

(५) उपधारा (१) से (४) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कि कुलाधिपति का यह समाधान हो गया है कि ऐसी जांच करना तथा उसके नाम निर्देशित किसी सदस्य के ऐसे सदस्य के निकाले जाने के पूर्व कोई कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करना या सुने जाने का अवसर प्रदान करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है.

कठिनाइयों का निराकरण.

६६. यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम गठन या पुनर्गठन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, उस अवसर पर, जैसा अपेक्षित हो, आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगी जो कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो.

अनुसूची

(धारा ५१ देखिए)

१. धारा १२ और १३—धारा १२ और १३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए:—

कुलपति की नियुक्ति.

"१३ कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह कुलाधिपति द्वारा उसी रीति में हटाया जा सकेगा.".

२. धारा २१, २२, २३ तथा २४—धारा २१, २२, २३ तथा २४ के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं स्थापित की जाएं:

सभा का गठन.

"२१ (१) सभा (कोर्ट) में निम्नलिखित होंगे :

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

(तीन) कुलाधिसचिव;

(चार) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग;

(पांच) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;

(छह) आयुक्त/ निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी, मध्यप्रदेश शासन;

(सात) संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण;

(आठ) विद्यार्थियों के अधिक से अधिक दो प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किए जाएंगे;

(नौ) विधान सभा के दो प्रतिनिधि जो विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे और जो ऐसे निर्वाचन के लंबित रहने तक अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किए जाएंगे.

(२) उपधारा (१) के खण्ड (आठ) के अधीन विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को छोड़कर सभा के सदस्यों की पदावधि का उस कालावधि तक विस्तार रहेगा, जिस तक की धारा ५१ के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवर्तित रहे और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों की पदावधि उनके नाम-निर्देशन की तारीख से एक वर्ष या अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि का अवसान होने तक, इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, होगी.

स्पष्टीकरण.—उपधारा (१) के खण्ड (आठ) के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''विद्यार्थी'' का वही अर्थ होगा जो कि उस अभिव्यक्ति की अपरिवर्तित धारा २१ की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण (तीन) में दिया गया है.

सभा का सम्मिलन तथा उसकी गणपूर्ति.

''२२ (१) सभा का सम्मिलन वर्ष में एक बार, कुलपति द्वारा नियत की गई तारीख को होगा.

(२) कुलपति, जब कभी भी वह उचित समझे यथासंभव शीघ्र, सभा का विशेष सम्मेलन बुला सकेगा और सभा के सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा पर यथासंभव शीघ्र सभा का विशेष सम्मिलन बुलाएगा.

(३) सभा के सात सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

सभा की शक्तियां तथा कृत्य.

२३ सभा एक सलाहकार निकाय होगी और वह:—

(क) राज्य सरकार को ऐसे विषयों के संबंध में सलाह देगी जो सलाह के लिए उसे (सभा को) निर्देशित किया जाए;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को ऐसे विषयों के संबंध में सलाह देगी जो ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा उसे (सभा को) निर्देशित किया जाए;

(ग) कार्य परिषद् की सिफारिश पर उपाधियां, उपाधिपत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करेगी;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा या उसके अधीन या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी/ सौंपे जाएं.

कार्यपरिषद्.

२४ (१) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालक निकाय होगी और इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसमें केवल निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(एक) कुलपति;

(दो) कुलाधिसचिव;

(तीन) भारसाधक सचिव, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन या उनका प्रतिनिधि जो उपसचिव की पद श्रेणी से नीचे का न हो;

(चार) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;

(पांच) आयुक्त/ संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी, मध्यप्रदेश शासन;

(छह) दो सदस्य जो प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्ति तथा शिक्षाविद् में से कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे.

(२) कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों की पदावधि का उस कालावधि तक विस्तार रहेगा जिस तक कि, धारा ५१ के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवर्तित रहे.

(३) कार्यपरिषद् के चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी.''.

३. धारा २५—धारा २५ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुन:क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुन: क्रमांकित की गई उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए:

''(२) कार्यपरिषद्, उपधारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने में, राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहेगी. **कार्यपरिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.**

(३) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वार्षिक लेखाओं तथा वित्तीय प्राक्कलनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, जो अपने विचार कार्यपरिषद् को संसूचित कर सकेगी, जो (कार्यपरिषद्) उन पर विचार करेगी तथा उनके संबंध में ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी कि वह उचित समझे और जब कोई कार्रवाई न की गई हो, उसके लिए अपने कारण राज्य सरकार को सूचित करेगी.''.

४. धारा २७—धारा २७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए: **विद्या परिषद्.**

''२७. (१) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(एक) कुलपति;

(दो) कुलाधिसचिव;

(तीन) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन;

(चार) आयुक्त/ संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी, मध्यप्रदेश शासन;

(पांच) समस्त संकायाध्यक्ष;

(छह) अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष;

(सात) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;

(आठ) सात शिक्षक जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(२) विद्या परिषद् के नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि का उस कालावधि तक विस्तार रहेगा जिस तक कि धारा ५१ के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवर्तित रहे.

(३) विद्या परिषद् के सात सदस्यों से गणपूर्ति होगी.''.

५. धारा ४१—धारा ४१ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए:

''(३) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपरिषद् किसी प्राधिकारी या निकाय द्वारा इस धारा के अधीन बनाए गए किसी भी विनियम को उपान्तरित या बातिल कर सकेगी.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में पिछले दशक के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा का वृहत स्तर पर प्रसार किया गया है. राज्य में चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नर्सिंग, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध और सह-चिकित्सा में शिक्षा देने वाली संस्थाएं बड़ी संख्या में स्थापित की गई हैं. स्वास्थ्य विज्ञान में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मानकों में समानता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यह प्रस्तावित है कि राज्य में विधि अधिनियमित करके, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख १५ मार्च, २०११.

महेन्द्र हार्डिया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

वित्तीय ज्ञापन

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए प्रस्तावित विधेयक के खण्ड १०, १२, १४ (४), १६, १७, १८, १९, ३४, ४९ एवं ५८ में यह अनुमान है कि विश्वविद्यालय पर होने वाले अनुमानित आवर्ती व्यय रुपये ३६४.४८ लाख एवं अनुमानित अनावर्ती व्यय रुपये ११५१.२५ लाख, अनुमानित कुल व्यय रुपये १५१५.७३ लाख होगा. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल है तथा वर्ष २०११-१२ की आयोजना सीमा में इस योजना को शामिल किया गया है जिसमें राशि रुपये १०० लाख का प्रावधान है.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजित की जा रही हैं. उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड १ (३)	अधिनियम को प्रवृत्त किये जाने की तिथि अधिसूचित किए जाने;
खण्ड ६ (२)	विश्वविद्यालय की अधिकारिता एवं विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र की सीमाएं तथा अधिकारिता की अवधि सुनिश्चित किये जाने;
खण्ड ८	विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या नियत किये जाने;
खण्ड ९ (१)	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के उपस्कर की रीति नियत किये जाने;
खण्ड १३ (१)	कुलपति की परिलब्धियां, सेवा शर्तें तथा पदावधि सुनिश्चित किये जाने;
खण्ड १४ (९)	परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग किये जाने;
खण्ड १६	कुलाधिसचिव की परिलब्धियां, सेवा शर्तें, पदावधि तथा कर्तव्य आदि समनुदेशित किये जाने;
खण्ड १७ (३) एवं (६)	कुलसचिव की परिलब्धियां, सेवा शर्तें तथा पदावधि तथा कर्तव्य आदि समनुदेशित किये जाने;
खण्ड १८ (२)	विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष की परिलब्धियां, सेवा शर्तें अवधारित किये जाने;
खण्ड १९	परीक्षा नियंत्रक तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, परिलब्धियां सेवा शर्तें तथा कर्तव्य अवधारित किये जाने;
खण्ड २५ (उन्तीस)	कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य सुनिश्चित किये जाने;

खण्ड २८	विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य सुनिश्चित किये जाने;
खण्ड २९	विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्षों की शक्तियां, कर्तव्य तथा विभाग सुनिश्चित किये जाने;
खण्ड ३० एवं ३१	उपाधि एवं उपाधि पत्रों के पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां तथा कर्तव्य नियत किये जाने;
खण्ड ३३	विश्वविद्यालय द्वारा अन्य अध्ययन बोर्डों का गठन, अवधि, शक्तियां तथा कर्तव्य नियत किये जाने;
खण्ड ३६	अधिनियम के उपबंधों के तहत् अन्य निकायों के गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य सुनिश्चित किये जाने;
खण्ड ३७	खण्ड ३६ के अन्तर्गत नए या अतिरिक्त परिनियम बनाये जाने;
खण्ड ४२	विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हताएं सुनिश्चित किये जाने;
खण्ड ४५	विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातक एवं उपाधि पत्र धारकों की फीस तथा नामांकन पंजी का प्ररूप सुनिश्चित किये जाने;
खण्ड ५०	विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित होने की दशा में वित्त व्यवस्था शासन के नियंत्रणाधीन एवं उसके प्रवर्तन की कालावधि नियत किये जाने;
खण्ड ५१	विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए उन्हें लागू किये जाने की अधिसूचना जारी किये; एवं
खण्ड ६६	प्रस्तावित अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् उद्भूत हुई कठिनाइयों के निराकरण किये जाने

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.